

DECREE IN ORIGINAL SUIT

(Code of Civil Procedure 1908, Order xx Rules 6 and 7)

Civil Suit No. 23-A of 2016

THE COURT OF -आशुतोष यादव, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 कटंगी,
जिला बालाघाट म.प्र.

1. मुस.सुरमन पति छन्नूलाल, उम्र 62 वर्ष,
 2. छन्नूलाल पिता दीवानजी, उम्र 65 वर्ष,
 3. ठानसिंह पिता छन्नूलाल, उम्र 35 वर्ष,
- सभी निवासीगण ग्राम हतोड़ा, तहसील तिरोड़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.)।

-----वादीगण

// बनाम //

1. ईठोबा पिता बलीराम, उम्र 65 वर्ष,
 2. मुस.रुखमाबाई पति ईठोबा, उम्र 60 वर्ष,
 3. संजय पिता ईठोबा, उम्र लगभग 30 वर्ष,
 4. मुस. कंचनाबाई पति संजय, उम्र 28 वर्ष,
 5. गौरीशंकर पिता ब्रजलाल, उम्र 45 वर्ष,
 6. मुस. निर्मला पति गौरीशंकर, उम्र 40 वर्ष,
 7. कैलाश पिता प्रेमलाल, उम्र लगभग 40 वर्ष,
 8. मुस. कासनबाई पति कैलाश, उम्र 38 वर्ष,
 9. उमाशंकर पिता रामबक्स, उम्र 32 वर्ष,
 10. मुस.श्यामकला पति उमाशंकर, उम्र 28 वर्ष,
- सभी निवासीगण ग्राम हतोड़ा, तहसील तिरोड़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.)।

-----प्रतिवादीगण

Claim for - वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु।

This Suit coming on this day for final disposal me in the presence of

(for the plaintiff) Shri —

आई0डी0 पटले अधिवक्ता।

(for the defendant 1 to 10) Shri—

दिनेश मिश्रा अधिवक्ता।

It is ordered and decreed that—

1. अतः उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य, तथ्य एवं परिस्थितियों की विवेचना उपरांत वादीगण अधिसंभाव्यता की प्रबलता तक यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि प्रतिवादीगण के द्वारा उनकी भूमि सर्वे क्रमांक 320 पर अवैध रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है, इसी प्रकार प्रतिवादीगण अधिसंभाव्यता की प्रबलता तक यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि वादीगण के द्वारा उनकी भूमि सर्वे क्रमांक 321/1 पर अवैध रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है, फलतः वादीगण का दावा व प्रतिवादीगण का प्रतिदावा स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।
2. उभयपक्ष अपना-अपना वाद-व्यय वहन करेंगे।
3. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा अनुसूची अनुसार जो न्यून हो, देय होगी।

and that the sum of Rs. /—रु० उभयपक्ष अपना-अपना वाद-व्यय वहन करेंगे।
be paid by the defendant
plaintiff

to the defendant
plaintiff
on account of Costs of this suit with interest thereon at the rate of percent
per annum from this date of realization

Given under my hand and the seal of the Court this 26 September day of 2018

Judge

COSTS OF SUITS

Plaintiff			Defendants		
	Rs.	P.		Rs.	P.
1. Stamp for plaint	200	00	Stamp for Defendant	200	00
2. Stamp for application & affidavit	80	00	Stamp for application & affidavit	130	00
3. Stamp for powers	10	00	Stamp for powers	20	00
4. Stamp for exhibits	-	-	Stamp for exhibits	-	-
5. Pleaders fee on प्रमाण पत्र पेश / नहीं	-	-	Pleaders fees प्रमाण पत्र पेश / नहीं	-	-
6. Subsistence or witness	-	-	Subsistence for witness	-	-
7. Commissioners fee	-	-	Commissioners	-	-
8. Service of process	80	00	Service of process	-	-
Total	370	00	Total	350	00
तीन सौ सत्तर रुपये मात्र			तीन सौ पचास रुपये मात्र		

सही /—
(आशुतोष यादव)
व्य० न्याया० वर्ग-2, कंटगी
जिला बालाघाट म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य